

proposals received from the State Government are incomplete and consequently, in such cases, State Governments are asked to furnish complete information/additional information for disposal.

362 cases were disposed in respect of part C of First Schedule of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act during 1997-98. 128 cases in respect of part C of First Schedule of the Act are pending with Central Government as on 1.6.1998. List showing pending cases for approval of Central Government for minerals listed in part A and part C of First Schedule of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 are appended at Statement I and II respectively. (See below)

Statement—I

State	Pending Cases as on 1.6.1998
Orissa	1
Rajasthan	1
TOTAL	2

Statement—II

State	Pending Cases as on 1.6.1998
Andhra Pradesh	19
Bihar	7
Gujarat	14
Himachal Pradesh	4
Karnataka	16
Madhya Pradesh	14
Orissa	26
Rajasthan	15
Tamil Nadu	11
Uttar Pradesh	2
Total	128

#### इस्पात परियोजनाओं में पूंजी निवेश

4402. श्री अनन्तराव देवशंकर दवे: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र में स्थापित इस्पात परियोजना में पूंजी निवेश का कुल अंशदान कितना है और इसका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निवेश का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार ने निजी उपक्रमों में निवेश के लिये कोई विशिष्ट नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत वित्तीय संरचना को परिभाषित किया जा सके;

(ग) क्या निजी क्षेत्र ने अपनी उत्पादकता क्षमता को वित्तीय निवेश के अनुसार कायम रखा है; और

(घ) प्रत्येक उपक्रम में धारिता का वर्तमान प्रतिशत क्या-क्या है?

इस्पात और खान संचालन में राज्य मंत्री (श्री रमेश बास): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जुलाई, 1991 के बाद अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में 19 इस्पात परियोजनाओं को अनुमोदित और स्वीकृत किया है। इनका कुल निवेश लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। इनमें से इकाइयां चालू की गई हैं जिनमें कुल निवेश प्रतिशत 6000 करोड़ रुपये हुआ है। इस निवेश में स्वदेशी और विदेशी पार्टियों की प्रतिशतता के अंशदान से संबंधित जानकारी का केन्द्रीय रूप से प्रबोधन नहीं किया जाता।

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की निर्बाध रूप से अनुमोदित है। इससे अधिक विदेशी समस्या के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ग) यह आशा नहीं है कि निजी क्षेत्र तकनीकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए बगैर कोई निवेश करेगा।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

#### Iron and Steel Produced by PSUs

4402. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the quantum of iron, steel and iron alloys produced by Public Sector Undertakings/Private Sector during the year 1997-98 till date as compared to the corresponding last year (1996-97), plant-wise;

(b) the names of the countries to which iron, steel and iron alloys have been exported till date alongwith quantity/rates of each metal during the above mentioned period indicating foreign exchange earned therefrom; and

(c) the details of said items imported during 1997-98 as compared to 1996-97 indicating the rates, quantities thereof (country-wise) till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL & MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) The quantity of pig iron, steel and alloys/stainless steel produced by Public Sector/Private Sector steel plants during 1997-98 as compared to the corresponding period last year (1996-97) plant-wise was as under:--